रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1971/आश्विन 5, 1893

No. 147] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER, 27 1971/ASVINA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th September 1971

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Cotton Yarn for export to Canada during the licensing year September,* 1971 *to August,* 1972.

No. PN(CANADA LICENSING)/1 of 1971.—The scheme relates to the export to Canada of cotton yarn with effect 1st September, 1971 upto 31st August, 1972.

2. ***Main Group and Category Heading:***

Yarn.—1. Canadian Tariff Item Number 52101-1: Singles, not otherwise provided for and;

2. Canadian Tariff Item Number 52107-1: Other, not otherwise provised for (that is other than count 70 or finer, when imported by manufacturers for use in the manufacture of levers lace.)

3. Exports shall be allowed from any port in India.

4. (a) The quotas shall be allotted against individual shipments by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, or its authorised representatives at upcountry ports of Calcutta, Madras, Tuticorin, Cochin and New Delhi by way of endorsement on shipping bills on first-come-first served basis. Licensing endorsements on such allotments shall be made by the concerned Export Control Authorities at the port of shipment.

(b) Import of cotton yarn into Canada will be admitted by Canadian authorities against presentation of Customs (MB Invoice) duly certified by Indian authorities. The shippers shall therefore, admit Customs Invoice duly filled in (induplicate) to The Cotton Textile Export Promotion Council, Bombay or its authorised upcountry representative for certification along with shipping documents submitted for quota endorsement.

5. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the Canada Advisory Committee.

6. All shipments of cotton yarn made during each month from any port in India shall be reported by the exporters concerned to The Cotton Textiles Export Promotion Council by the 10th of subsequent month.

7. A non-refundable charge of Rs. 5/- for every 10,000 lbs. of cotton yarn shall be levied by Texprocil for the issue of quota certificate subject to a minimum of Rs. 5/-.

8 The Canada Advisory Committee will:

(a) frame rules and regulations from time to time for the operation of the scheme;

(b) supervise the entire scheme;

(c) keep watch over the performance from time to time;

(d) Interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme, and

(e) make such charges in the scheme as the Advisory Committee may consider fit from time to time.

9. The Canada Advisory Committee consists of Eleven members including the Textile Commissioner, Bombay or his representative.

10. The Address of the Cotton Textile Export Promotion Council is as under:
"ENGINEERING CENTRE"

5th Floor,

9-Mathew Road,

BOMBAY-4.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1971

विषय :—लाइसेंस वर्ष सितम्बर, 71 से अगस्त, 72 तक के दौरान कनाडा को कपास सूत के निर्यात के लिये लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित योजना ।

संख्या 1-पी एन (कनाडा लाइसेंसिंग)/71 का 1.—यह योजना कनाडा को 1-9-71 से 31-8-1972 तक की अवधि के लिये कपास सूत के निर्यात से सम्बन्धित है ।

2. मुख्य वर्ष और श्रेणी शीर्षक

सूत :

1. कनाडा मद सूची संख्याये 52101—1 सिंगल्ज, अन्यथा रूप से व्यवस्था के लिये नही है, और

2. सं० 52107—1, अन्य, अन्यथारूप से व्यवस्था के लिये नही है (जो काउन्ट 70 अथवा फाइनर से भिन्न है, जब निर्माणकर्त्ताओं द्वारा लीवर्स लेस के निर्माण में प्रयोग के लिये आयात किया जाता है) ।

3. भारत मे किसी भी पत्तन से निर्यात करने की स्वीकृति दी जाएगी ।

4(ए) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा अथवा इसके द्वारा कलकत्ता, मद्रास तूतीकोरिन, कोचीन और नई दिल्ली पत्तनों के अन्तर्वर्ती प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पहले आए सो पहले पाए के आधार पर लदान बिलों पर पृष्ठांकन की विधि द्वारा व्यक्तिगत लदानों के लिए कोटा आवंटित किया जाएगा । ऐसे आवंटनों पर लदान के पत्तन पर सम्बन्धित निर्यात नियंत्रण

4(बी) कनाडा में कपास सूत के आयात की स्वीकृति, भारतीय प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित सीमा-शुल्क बीजक (एम बी बीजक) को प्रस्तुत करने पर कनाडा प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी। इसलिये पोतवणिक, विधिव भरे हुये सीमा-शुल्क बीजक को (अनुलिपि में) कोटा पृष्ठांकन के लिये प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों के साथ प्रमाणन के लिये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई या उसके प्राधिकृत अन्तवर्ती प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करेंगे ।

5. लाइसस और कोटे कनाडा सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति लिये बिना हस्तान्तरित नहीं किए जाऐंगे ।

6. सम्बन्धित निर्यातकों द्वारा भारत में किसी भी पत्तन के प्रत्येक मास के दौरान किए गए सभी कपास सूत लदानों की सूचना सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् को अनुवर्ती मास की 10 तारीख तक दे दी जायेगी ।

7. कोटा जारी करने के लिये प्रत्येक 10,000 पौंड कपास सूत के लिये टेक्सप्रोसिल द्वारा 5 रुपया अदेय शुल्क के रूप मे लिया जाएगा और यह कम से कम 5 रुपये होगा ।

8. कनाडा सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(क) योजन-प्रचालन के लिये समय समय पर नियम और विनियम बनाना;

(ख) सम्पूर्ण योजना को पर्यवेक्षण करना ;

(ग) समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना ;

(घ) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना , और

(ङ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समिति उचित समझे ।

9. कनाडा सलाहकार समिति मे 11 सदस्य होते है, जिनमे वस्त्र आयुक्त, बम्बई अथवा उनका प्रतिनिधि भी शामिल है ।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेंटर",

पांचवी मंजिल, 9, मैथ्यु, रोड,

बम्बई—4 ।

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles for export to Italy during the licensing year* 1971-72.

No. PN(ITALY LICENSING)/1 of 1971.—(1) The Scheme relates to export of all varieties of mill-made cotton textiles excluding cotton yarn from India to Italy during the licensing year October 1971 to 30th September, 1972.

2. Licences under the scheme shall be issued by the Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of quota certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on first-come-first-served basis. The quota certificate will be issued on presentation by the exporters of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in kilograms of the goods in the Form prescribed by Texprocil for the purpose.

3. For the purpose of exports and issuance of quotas/licences, cotton textiles have been divided into the following two groups:—

GROUP I.—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not. Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

GROUP II.—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton.

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

4. According to the agreement, imports of cotton textiles into Italy will be admitted by the competent Italian authority only on presentation of the Green Certificate issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the Italian authorities would issue import licence.

5. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 2.50 per ton will be levied by The Cotton Textilts Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2.50.

8. All quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipments against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

9. The E.E.C. Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme, (b) keep a watch over the performance from time to time, (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme, and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia*, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

10. The adress of The Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEEERING CENTRE",

5th Floor,
9, Mathew Road,
Bombay-4.

विषय :—लाइसेंस—वर्ष 1971–72 के दौरान भारतीय सूती कपड़े के इटली को निर्यात के लिये लाइसेंस योजना ।

संख्या 1-पी०एन० (इटली लाइसेंसिंग)/ 71.—1. यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1971 से 30 सितम्बर, 1972 के दौरान कपास सूत को छोड़कर सभी प्रकार के मिल निर्मित कपड़े का भारत से इटली को निर्यात से सम्बन्धित है ।

2. इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाणपत्र के आधार पर "पहले आये सो पहले पाये" के आधार पर लाइसेंस जारी किये जायेंगे । निर्यातकों द्वारा फर्म से विदाओं और अन्य ब्यौरे के साथ इस कार्य हेतु टेक्सप्रोसिल द्वारा निर्धारित प्रपत्र म माल का किलोग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुये एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे ।

3. निर्यात और कोटा/लाइसेंस दिये जाने के उद्देश्य से सूती कपड़े को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है :—

वर्ग—1 : सूती वस्त्र, भूरा या विरंजन द्वारा मर्सरीकृत या मर्सरीकृत न किया हुआ । वर्ग–1 में बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी और सी 1, श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं ।

वर्ग 2 : अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और कपास के विविध वस्तुएं :

सी 2, सी 3, सी 4, सी 5, सी 6, सी 7, डी, डी 1, डी 2 डी 3, डी 4, ई, ई 1, ई 2, ई 3, ई 4, ई 5, ई 6, ई 7, ई 8, ई 9, ई 10, ई 11, एफ, एफ 1, एफ 2, एफ 3, और एफ 4 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें वर्ग 2 में आती हैं।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों के विस्तृत विवरण टेक्सप्रोसिल के पास मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में गैट और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध हैं :

4. करार के अनुसार, इटली में सूती कपड़े के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टिफिकेट को इटली के समर्थ प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसके आधार पर इटली के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

5. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोत लदान के लिये वैध होंगे ।

6. लाइसेंस और कोटा ई० ई० सी० तथा आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना हस्तान्तरित नहीं किए जायेंगे ।

7. कोटा जारी करने के लिये सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा 2.50 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध शुल्क वसूल किया जाएगा । इसकी न्यूनतम राशि 2.50 रुपये होगी ।

8. जिनको अलग अलग लाइसेंस जारी किये गये है उन सभी कोटाधारियों को उन प्रत्येक लाइसेंसों के प्रति पोत लदान के ब्यौरे देते हुये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक विवरण प्रस्तुत करना होगा । ये विवरण परिषद को अगले मास की 10 तारीख तक पहुंचने चाहियें ।

9. ई० ई० सी०—आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे:—
(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना (ख) समय-समय पर कार्यपालन की निगरानी रखना (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समिति उपयुक्त कोटा प्राप्त करने के लिये पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिये भी अधिकृत है । इसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटे को रोक ले या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण को बताये निर्देशित किए ही कोटा के लिये दिये गये आवेदन-पत्र को रद्द कर दे ।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है:—

"इंजीनियरिंग सेंटर," पांचवी मंजिल,

9, मैथ्यू रोड,

बम्बई—4 ।

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles for export to France during the licensing year* 1971-72.

No. PN(FRANCE LICENSING)/1 of 1971.—1. The Scheme relates to export of all varieties of millmade cotton textiles excluding cotton yarn from India to France during the Licensing year 1st October, 1971 to 30th September, 1972.

2. Licences under the scheme shall be issued by the Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay on the basis of quota certificate issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on first-come-first-served basis. The quota certificate will be issued on presentation by the exporters of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in kgs. of the goods in the Form prescribed by Texprocil for the purpose.

3. For the purpose of exports and issuance of quota/licence, cotton textiles have been divided into the following two groups:

GROUP I.—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not. Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

GROUP II.—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

GROUP II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, and F4. Details of the items falling under the above categories are available with The Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

4. According to the agreement, imports of cotton textiles into France will be admitted by the competent French Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which French Authorities would issue import licence.

5. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 2.50 per ton will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2.50.

8. All quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

9. The E.E.C.—Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme (b) keep a watch over the performance from time to time (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme, and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

10. The address of The Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE"

5th Floor.
9, Mathew Road,
Bombay-4.

विषय :—लाइसेंस-वर्ष 1971–72 के दौरान भारतीय सूती कपड़े के फ्रांस को निर्यात के लिए लाइसेंस योजना

संख्या 1-पी एन (फ्रांस लाइसेंसिंग)/71.—1. यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1971 से 30 सितम्बर, 1972 के दौरान कपास सूत को छोड़ कर सभी प्रकार के मिल निर्मित कपड़े का भारत से फ्रांस को निर्यात से सम्बन्धित है ।

2. इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण पत्र के आधार पर 'पहले आए सो पहले पाए' के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। निर्यातकों द्वारा फर्म संविदाओं और अन्य ब्यौरे के साथ इस कार्य हेतु टैक्सप्रोमिल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में माल का किलो ग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुए एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे ।

3. निर्यात और कोटा/ लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से सूती कपड़े को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है :—

वर्ग—1 : सूती वस्त्र, भूरा या विरंजन द्वारा मसरीकृत या न किया हुआ वर्ग–1 में बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी और सी 1 श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदे आती हैं।

वर्ग—2 : अन्य सूती वस्त्र, तयार सामग्री और कपास की विविध वस्तुएं :

सी 2, सी 3, सी 4, सी 5, सी 6, सी 7, डी, डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, ई, ई 1, ई 2, ई 3, ई 4, ई 5, ई 6, ई 7, ई 8, ई 9, ई 10, ई 11, एफ, एफ 1, एफ 2, एफ 3 और एफ 4 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें वर्ग 2 में आती हैं।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों के विस्तृत विवरण टैक्सप्रोसिल के पास मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध हैं।

4. करार के अनुसार, फ्रान्स में सूती कपड़े के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टिफिकेट को फ्रान्स के समर्थ प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसके आधार पर फ्रान्स के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे।

5. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोत-लदान के लिए वैध होंगे।

6. लाइसेंस और कोटा ई० ई० सी० तथा आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना हस्तान्तरित नही किए जाएंगे।

7. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा 2.50 रुपये प्रति टन के हिसाब से अदेय शुल्क वसूल किया जाएगा। इसकी न्यूनतम राशि 2.50 रुपये होगी।

8. जिनको लाइसेंस जारी किए गए हैं उन सभी कोटाधारियों को उन प्रत्येक लाइसेंसों के प्रति पोत-लदान के ब्यौरे देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये विवरण परिषद् को अनुवर्ती मास की 10 तारीख तक पहुंचने चाहिएं।

[illegible] यों के कार्य होंगे : (क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना (ख) समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समिति उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत है। इसे यह भी रद्द कर दे और बिना किसी कारण को समनुदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र को रद्द कर दे।

अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उस।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है :—

'इंजीनियरिंग सैन्टर", पांचवीं मंजिल, 9, मैथ्य रोड, बम्बई–4

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian cotton textiles for export to Benelux (Belgium, Netherlands and Luxembourg) countries during the licensing year* 1971-72.

No. PN(BENELUX COUNTRIES LICENSING)/1 of 1971.—1. The Scheme relates to the export of all varieties of millmade cotton textiles excluding cotton yarn from India to Benelux (Belgium, Netherlands and Luxembourg) countries, during the licensing year 1st October, 1971 to 30th September, 1972.

2. Licences under the Scheme shall be issued by the Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of quota certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay on first-come–first several basis. The quota certificate will be issued on presentation by the exporter of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in kgs. of the goods in the Form prescribed by Texprocil for the purpose.

3. For the purpose of exports and issurance of quotas/licences, cotton textiles have been divided into the following two groups—

Group I.—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not. Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

Group II.—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with The Texprocil in the form of Standardised categories and items falling under the same.

4. According to the agreement, imports of cotton textiles into BENELUX countries will be admitted by the competent authorities in the BENELUX countries only on presentation of the Green Certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the BENELUX authorities would issue import licences.

5. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textile Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 2.50 per ton will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council, for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2.50.

8. All quota holders shall have to submit monthly report to The Cotton Textiles Exports Promotion Council giving details of the shipments against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

9. The E.E.C.—Austria Textile Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme (b) keep a watch over the performance from time to time (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme and (d) make such changes in that scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter alia*, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to with-hold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

10. The address of the Cotton Textile Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE"
5th Floor,
9, Mathew Road,
BOMBAY-4

विषय.—लाइसेंस-वर्ष 1971–72 के दौरान भारतीय सूती कपड़े के बेनिलक्स (बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्सेमबर्ग) देशों को निर्यात के लिए लाइसेंस-योजना ।

संख्या 1-पी एन (बेनिलक्स कन्ट्रीज लाइसेंसिंग)/71.—1. यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1971 से 30 सितम्बर, 1972 के दौरान कपास सूत को छोड़ कर सभी प्रकार के मिल निर्मित कपड़े का भारत से बेनिलक्स (बेल्जियम, नीदरलैण्ड तथा लक्सेमबर्ग) देशों को निर्यात से सम्बन्धित है ।

2. इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण पत्र के आधार पर 'पहले आए सो पहले पाए' के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे । निर्यातकों द्वारा फर्म संविदाओं और अन्य ब्यौरे के साथ इस कार्य हेतु टैक्सप्रोसिल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में माल का किलोग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुए एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे ।

3. निर्यात और कोटा/लाइसेंस दिए जाने के उद्देश्य से सूती कपड़े को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है :—

वर्ग—1 : सूती वस्त्र, भूरा या विरंजन द्वारा मसरीकृत या मर्सरीकृत न किया हुआ । वर्ग—1 में बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी और सी 1 श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं ।

वर्ग—2 : अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और कपास की विविध वस्तुएं :

सी 2, सी 3, सी 4, सी 5, सी 6, सी 7, डी, डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, ई, ई 1, ई 2, ई 3, ई 4, ई 5, ई 6, ई 7, ई 8, ई 9, ई 10, ई 11, एफ, एफ 1, एफ 2, एफ 3, और एफ 4 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें वर्ग 2 में आती हैं ।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों के विस्तृत विवरण टैक्सप्रोसिल के पास मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध हैं ।

4. करार के अनुसार, बेनिलक्स देशों में सूती कपड़े के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टिफिकेट को बेनिलक्स देशों के समर्थ प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसके आधार पर बेनिलक्स के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

5. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोत-लदान के लिए वैध होंगे ।

6. लाइसेंस और कोटा ई० ई० सी० तथा आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना हस्तान्तरित नहीं किए जाएंगे ।

7. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा 2.50 रुपये प्रति टन के हिसाब से अदेय शुल्क वसूल किया जाएगा। इसकी न्यूनतम राशि 2.50 रुपये होगी।

8. जिनको लाइसेंस जारी किए गए हैं उन सभी कोटाधारियों को उन प्रत्येक लाइसेंसों के प्रति खेप लदान के ब्यौरे देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये विवरण परिषद् को अनुवर्ती मास की 10 तारीख तक पहुंचने चाहिए।

9. ई० ई० सी०—आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे : (क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना (ख) समय-समय पर कार्यपालन की निगरानी रखना (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समिति उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिए शर्तें बनाने और उनका अनुपालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत है। इसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण को समनुदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र को रद्द कर दे।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेन्टर", पांचवीं मंजिल, 9, मैथ्यू रोड, बम्बई–4।

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian cotton textiles for export to Austria during the Licensing year* 1971-72.

No. PN(AUSTRIA LICENSING)/1 of 1971.—The Scheme relates to the export of all varieties of mill-made cotton textiles including cotton yarn from India to Austria during the licensing year 1st October, 1971 to 30th September, 1972.

2. Exports will be allowed from any port in India.

3. Licences under the scheme shall be issued by the Joint Chief controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of the quota certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay on first-come-first-served basis. The quota Certificate will be issued on presentation by Exporters of firm contracts and a proforma invoice indicating, alongwith other details, the net wtight in kgs. of the goods in Form prescribed by the Texprocil for the purpose.

4. For the purposes of exports and issuance of quota/licences, cotton Textiles have been divided into the following three categories:

CATEGORY I—Grey goods.

CATEGORY II—Terry Towels and Towelling, And

CATEGORY III—[illegible]

5. Such imports into Austria will be admitted by the Competent Austrian authority only on presentation of the Green Certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay on the basis of which the Austrian authorities would issue an import licence.

6. Licences and quota shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 2.50 per ton will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2.50.

8. All quota holders shall have to submit monthly reports to the Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipments against individual licences issued to them. These statements should reach the council by the 10th of the subsequent month.

9. E.E.C.—Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme, (b) keep a watch over the performance from time to time, (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the Scheme, and (d) makesuch changes in the scheme as the committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia*, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

10. The address of the Cotton Textile Export Promotion Council is as follows;—

"Engineering Centre",

5th Floor, 9 Mathew Road,

BOMBAY-4.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports

विषय —लाइसेंस वर्ष 1971–72 के दौरान आस्ट्रिया को भारतीय सूती कपड़े के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित योजना

सं० 1-पी०एन० (आस्ट्रिया लाइसेंसिंग) /1971.—यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 अक्टूबर, 1971 से 30 सितम्बर, 1972 के दौरान भारत से आस्ट्रिया को हाथ सूत सहित सभी प्रकार के मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात से सम्बन्धित है।

2. भारत में किसी भी पत्तन से निर्यात करने की स्वीकृति दी जाएगी।

3. प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात बम्बई द्वारा जारी किए गए फार्म ए.एम.-4 के आधार पर पहले आए से पहले पाए के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। निर्यातकों द्वारा फर्म सदस्यों और अन्य ब्यौरे के साथ टेक्सटाइल कमेटी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में माल का किलोग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुए एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर कोटा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

4. निर्यात और कोटे/लाइसेंसों को जारी करने से सम्बन्धित कार्यों के लिए सूती वस्त्र निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं:—

श्रेणी 1	भूरे रंग के सामान
श्रेणी 2	टेरी तौलिए और तौलिए से सम्बन्धित तथा
श्रेणी 3	कपास सूत, तैयार धागे, विविध

5. आस्ट्रिया में ऐसे आयातों की स्वीकृति सूति वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन प्रमाण-पत्र जिसके आधार पर समर्थ आस्ट्रिया प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जिसके आधार आस्ट्रिया को प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे।

6. लाइसेंस और कोटे ई० ई० सी० और आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति लिए बिना हस्तान्तरित नहीं किए जाएंगे।

7. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा 2.50 पये प्रति टन के हिसाब से अदेय शुल्क वसूल किया जाएगा। इसकी न्यूनतम राशि 2.50 ० होगी।

8. सभी कोटा धारियों को जिन को लाइसेंस जारी किए गए हैं, प्रत्येक लाइसेंस के लिए किए गए पेतलदानों का ब्यौरा देते हुए एक मासिक रिपो सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को प्रस्तुत करना चाहिए। ये विवरण परिषद् को अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए।

9. ई० ई० सी०—आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे:—(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय समय पर कार्यपालन की निगरानी रखना, (ग) योजना-परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना, तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समिति उचित समझे। कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पूर्व आवेदक द्वारा व्यवस्थित शर्तों का अनुपालन कराने के साथ साथ लाइसेंस समिति को समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने का भी अधिकार होगा। इसे यह भी अधिकार होगा कि यह कोटा को रोक ले अथवा उसे रद्द कर दे और किसी कारण को बतलाए बिना ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र रद्द कर दे।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है —

"इंजीनियरिंग सेन्टर", पांचवी मंजिल, 9, मैथ्यू रोड, बम्बई-1।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971